जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

विशेष सतर्कता जांच अभियान में बिजली चोरी के 981 मामले पकड़े गए
197 लाख 67 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण

जयपुर, 13 फरवरी। जयपुर विद्युत वितरण निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों में चलाए जा रहे विशेष सतर्कता जांच अभियान में सतर्कता दलों द्वारा इस माह में 12 फरवरी, 2015 तक 1068 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें से 981 जगहों पर बिजली चोरी एवं 87 अन्य बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़े गये।

जयपुर विद्युत वितरण निगम की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एक फरवरी से 12 फरवरी, 2015 तक बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के पकड़े गये कुल 1068 मामलों में 197 लाख 67 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

उन्होंने बताया कि जयपुर शहर वृत में 102 जगहों पर जांच की गई, जिसमें 92 मामले बिजली चोरी एवं 10 मे बिजली का दुरुपयोग करना पाया गया। इन बिजली चोरी के मामलों में 22 लाख 81 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। इसी तरह जयपुर जिला वृत में 161 स्थानों पर की गई जांच में से 151 बिजली चोरी एवं 10 दुरुपयोग के पकड़े गये मामलों में 22 लाख 65 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया, अलवर में 121 में से 118 बिजली चोरी एवं 3 दुरुपयोग के मामलों में 27 लाख 5 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया, भरतपुर वृत में 104 स्थानों पर की गई जांच में 101 मामले बिजली चोरी एवं 3 बिजली दुरुपयोग के मामलों में 18 लाख 5 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारणकिया गया है।

इसी तरह धौलपुर वृत में 113 जगहों पर की गई जांच में 108 जगहो पर बिजली चोरी पकड़ में आई एवं 5 मामले बिजली दुरुपयोग के सामने आये, इन मामलों में 19 लाख 15 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। दौसा सर्किल में 99 जगहो पर इस माह में अब तक की गई सतर्कता जांच में 91 मामले बिजली चोरी तथा 8 बिजली दुरुपयोग के मामलों में 13 लाख 65 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। सवाईमाधोपुर वृत में 61 जगहो पर की गई जांच में से 51 मामले बिजली चोरी एवं 10 बिजली दुरुपयोग के पकड़ में आये, जिसमें 8 लाख 24 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) ने बताया कि टोंक वृत में 42 स्थानों पर की गई सतर्कता जांच में 27 बिजली चोरी एवं 15 बिजली दुरुपयोग के मामलों में 9 लाख 81 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया। कोटा सर्किल में 74 में से 64 बिजली चोरी एवं 10 बिजली दुरुपयोग के पकड़े गए मामलों में 7 लाख 60 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। झालावाड़ में 5 जगहों पर की गई जांच में से 3 बिजली चोरी एवं 2 बिजली दुरुपयोग के मामलों में 3 लाख रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही केन्द्रीय सतर्कता दलों द्वारा इस अवधि में 186 स्थानों पर जांच की गई जिसमें 175 जगहों पर बिजली चोरी एवं 11 स्थानों पर बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़ कर 42 लाख 66 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

——————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 191/2015